

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप-6 विभाग

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

प.क्र.: 355 राज-6/04/24

जयपुर, दिनांक:- 17-12-04

परिपत्र

विषय:- गधे, घोड़े एवं ऊंटों को उपयोगी पशुओं की सूची में शामिल किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र पं. 355 राज-6/04/12 दिनांक 22-7-04 द्वारा भेड़, बकरी/करा, जट, गधे, घोड़े को उपयोगी पशुओं की सूची में शामिल किया गया था।

उक्त परिपत्र में आशिक संशोधन कर यह स्पष्ट निर्देश जारी किये जाते है कि भेड़, बकरी जिन्हें स्ताल फीडिंग नहीं कराया जाता है। तथा समय-समय पर काबूट करती रहती है अतः इन्हें उपयोगी पशुओं की सूची में शामिल नहीं माना जावे तथा गधे, घोड़े एवं ऊंटों को उपयोगी पशुओं की सूची में शामिल माना जावे।

आज्ञा से,



उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, सहायता विभाग
2. निदेशक/उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग
3. निदेशक, मत्स्य विभाग



उप शासन सचिव